पत्रावली पर अधिवक्ता/प्रार्थी अधिवक्ता/अप्रार्थी
अधिप्रार्थी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि वादी संस्था। के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। अप्रार्थी संस्था। विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की आड़ में मनघाट 2-भाग पर कब्जा करने व हिस्सा विशेष भूमि को बेचान करने पर आमादा है जबकि वर्षों पूर्व विवादित भूमि का बाकी बटवारा हो गया है व उसी अनुसार कब्जा गत है। वर्षों पूर्व बटवारा की बांटों के अनुसार भूमिखं. 2585, 2588 का सम्पूर्ण भाग प्रार्थी के हिस्से में व भूमिख.नं. 3346 में से उत्तरी परिचकबंदी का रकबा 0.225 हैक्टर भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 4-5 लाख रुपये खर्च करके व अपने मकान बनाकर आवास निवास करता है। प्रकरण में प्रार्थी के हित निहित है। विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति के परिवर्तन करने प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है। अतः अप्रार्थी संस्था। को विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आदेश पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमिख.नं. 2585, 2588, 3346 कुल किता 03 कुल रकबा 9.3500 हैक्टर को फराक करोड़ि का बाप परवार हमेशा करोड़ि का बाप तहसीलदार सिकर की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल अनुसार होकर नस्ती के क्रम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक हस्ताक्षर से सुनाया गया।